

बाल विकास परियोजना कार्यालय, कोल्हा, पूर्व-चम्पारण

पत्रांक 280 दिनांक 16-10-14

प्रधक,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
कोल्हा।

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
पूर्व-चम्पारण।

विषय - नवचयनित स्त्रिका / स्त्रिकों के चयन पत्र की हाना प्रति भजन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नवचयनित स्त्रिका / स्त्रिकों

के चयन पत्र की हाना प्रति पत्र के साथ संलग्न
किए जा रहे हैं, जिनकी सूची निम्नलिखित प्रकार
से है -

0/6
20-10-14

सं.	पंचायत	नाई सं०	पत्र	नाम
①	जमौली चण्डी	04	स्त्रिका	सुमिता कुमारी
②	गापी चण्डी	08	स्त्रिका	शर्मिला रतानु
③	गापी चण्डी	13	स्त्रिका	शोभावती देवी
③	जमौली	05	स्त्रिका	स्वजनुया रतानु
④	जमौली	09	स्त्रिका	सीमा सुमारी

ध्यान: ध्यान रहे कि नवचयनित स्त्रिकाओं को
प्राशिक्षण हेतु नामित करने की कृपा प्रदान करें।

अनुलग्नक - चयन पत्र की
हाना प्रति।

विशाल कुमार
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
कोल्हा

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय

कोटवा

जिला

पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं०

२६५

दिनांक

२३.०९.१५

चयन पत्र

1. श्रीमती शुशानुमा खातून पति मंसूर आत्मम जो ग्राम रबुजुरिया
वार्ड नं०-०५ पंचाभत - जसौली

पो जसौली जमुनिया की स्थायी
निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/ पेला/ मुहल्ला रा० उरू भास्मिठ मध्य
विधानम रबुजुरिया के आँगनबाड़ी केंद्र (कोड सहित) १०६ के सेवा क्षेत्र के
लिए दिनांक २३.०९.१५ को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन
किया जाता है।

- आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/ प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/ प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केंद्र पर सेविका/ सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
- सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केंद्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केंद्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति पापा

o/c शुशानुमा खातून ३०

25914

[Signature]
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
२३९-१५ कोटवा

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय कोटा

आप सं० 263

जिला पूर्वी चम्पारण

दिनांक 23.09.14

चयन पत्र

1. श्रीमती स्तीमा कुमारी पति मुञ्जाराज जो ग्राम जसोनी, पंचापर-जसोनी, वार्ड संख्या-09
पो० 31 जु० जा० टी०

निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/ टोला/ मुहल्ला 31 जु० जा० टी०
वार्ड सं० 09 के आँगनबाड़ी केन्द्र (कोड सहित) 146 के सेवा क्षेत्र के
लिए दिनांक 23.9.14 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गले निर्णय के आलोक में चयन
किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस.
निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/ प्रमाण
पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/ प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या
आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते
हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उरसी या अन्य किरसी
आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/ सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय
द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा
रहा है।

4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने
के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ
किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

o/c

एक परिशिष्ट संख्या
स्तीमा कुमारी
263-14

बाल विकास परियोजना कार्यालय का
नाम एवं मुहर (मुहर के साथ)
स्तीमा कुमारी

23.9.14

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय काटवा

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 262

दिनांक 23.09.14

चयन पत्र

1. श्रीमती शोभावती देवी पति स्वंतोष कुमार जो ग्राम
गोपी दपवा, पंचायत - गोपी दपवा - वार्ड संख्या - 13

पो० की स्थायी
निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/ टोला/ मुहल्ला अनु. जा० टोला
वार्ड नं० - 13 के आँगनबाड़ी केन्द्र (कोड सहित) 144 के सेवा क्षेत्र के
लिए दिनांक 20.09.14 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन
किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस.
निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/ प्रमाण
पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/ प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या
आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते
हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी
आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/ सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय
द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा
रहा है।

4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने
के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ
किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

शुभ प्रति - चयन पत्र प्राप्त
शोभावती देवी

24/9/2014

alC

बाल विकास परियोजना कार्यालय का
नाम एवं स्थान (मुहर के साथ)

बाल विकास परियोजना कार्यालय

23/9/14 सोटा

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय कोटगा

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 261

दिनांक 23.09.14

चयन पत्र

1. श्रीमती श.किष्का स्वातुन पति रतुस्तम अली जो ग्राम बेत्रिया वसंत, पंचाधर - जापी छपरा वार्ड - 08
पो० अगवतीया की स्थायी
निवासी है, का आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में गाम/ डोला/ मुहल्ला मुस्लिम टोला
वार्ड नं०-08 के आँगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित) 143 के सेवा क्षेत्र के
लिए दिनांक 20.09.14 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये विर्णय के आलोक में चयन
किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस.
निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/ प्रमाण
पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/ प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या
आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते
हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी
आँगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/ सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सूक्ष्म न्यायालय
द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा
रहा है।

4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने
के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ
किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति चयन पत्र

पर

श.किष्का स्वातुन

23/9/14

बाल विकास परियोजना कार्यालय की
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बाल विकास परियोजना प्रदायक है,

23/9/14

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय

कोटवा

जिला

पूर्वी चम्पारण

झाप सं०

957

दिनांक

18.09.14

चयन पत्र

1. श्रीमती प्रियंका कुमारी पति अन्नप पासवान जो ग्राम जसौली पट्टी, पंचासत-जसौली पट्टी, वार्ड संख्या-04
जसौली पट्टी पो० जसौली पट्टी की स्थायी
निवासी है, का आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/ ग्रामा मुखला अनु. जाति दीना
वार्ड नं०-04 के आँगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित) 138 के सेवा क्षेत्र के
लिए दिनांक 13.9.14 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन
किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एच.
निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/ प्रमाण
पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/ प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या
आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते
हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी
आँगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/ सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय
द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा
रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने
के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ
किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति चयन पत्र पाया

प्रियंका कुमारी

20/9/2014

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं 18/9/14 (दिनांक के साथ)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

18/9/14 कोटवा